भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 3874
मंगलवार, 12 अगस्त, 2025/21 श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

आरसीएस कार्यालयों के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल

3874. डॉ. संबित पात्राः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सहकारी क्षेत्र में सुधार के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में आरसीएस कार्यालयों के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल के विकास पर काम कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इन सहकारी समितियों को डिजिटल पोर्टल द्वारा कौन-सी विशिष्ट सेवाएँ या कार्यात्मक सेवाएं प्रदान किए जाने की संभावना है;
(ग) आरसीएस कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के बाद इन कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में किस प्रकार का सुधार होगा;
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 269 एस.टी. के संबंध में कोई स्पष्टीकरण जारी किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क), (ख) और (ग): वर्ष 2023-24 से तीन वर्षों के लिए 94.59 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ दिनांक 30.01.2024 को मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आरसीएस कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्रीय प्रायोजित परियोजना शुरू की गई थी। यह मंत्रालय की "आईटी इंटरवेंशनस के माध्यम से सहकारी समितियों का सशक्तीकरण" अम्ब्रेला परियोजना का एक हिस्सा है।

इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आरसीएस कार्यालयों के एकीकृत डिजिटल पोर्टल में संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी अधिनियमों के अनुसार सेवाएं या कार्यकरण होंगे। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संबंधित सहकारी समिति के पंजीयक(RCS) अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में इस परियोजना के समय पर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के लिए नोडल अधिकारी

हैं। वे पंजीयक कार्यालय के सभी कार्यों को कवर करने वाले प्रभावी कार्य-प्रवाह-आधारित सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं ।

परियोजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ाना और सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आरसीएस कार्यालयों के साथ सहकारी समितियों के पारदर्शी और कागज रहित लेनदेन के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 (30 जून 2025 तक) के दौरान, 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, और 19.73 करोड़ रुपये भारत सरकार के हिस्से के रूप में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किए गए हैं।.

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा निम्नानुसार है:

<u>सहकारी समितियों को आयकर अधिनियम में राहत</u>

1. **एक करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के आयकर पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है**: इससे सहकारी समितियों पर आयकर का भार कम होगा और उनके पास अपने सदस्यों के हित के लिए कार्य करने हेतु अधिक पूंजी उपलब्ध होगी ।

2. **सहकारी समितियों के न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) को 18.5% से घटाकर 15% किया गया:** इस उपबंध से अब सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच इस संबंध में समरूपता आ गई है ।

3. **आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत नकद लेनदेन में राहत:** आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अधीन सहकारी समतियों द्वारा नकद लेनदेन में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया है कि किसी सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ किसी एक दिन में किए गए 2 लाख रुपये से कम के नकद लेनदेन को पृथक माना जाएगा और उस पर आयकर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा ।

4. **नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती:** सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 31.03.2024 तक विनिर्माण कार्य शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों से 30% की दर अधिभार सहित की अपेक्षा अब 15% का फ्लैट निम्न कर-दर लगाया जाएगा । इससे विनिर्माण के क्षेत्र में नई सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा ।

5. **प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB) की नकद जमा राशि एवं भुगतान की सीमा में वृद्धि:** सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDB) द्वारा नकद जमा और एवं भुगतान की सीमा प्रति सदस्य 20,000 रुपये से

बढ़ा कर 2,00,000 रुपये कर दी गई है । यह प्रावधान उनके कार्यों को सुविधाजनक बनाएगा और उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी तथा इन समितियों के सदस्य लाभान्वित होंगे ।

6. **प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB) द्वारा ऋण की सीमा और नकद ऋण चुकौती की सीमा में वृद्धि:**
   सरकार ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा में दिए जाने वाले ऋण एवं उसकी नकद चुकौती की सीमा को प्रति सदस्य ₹20,000 से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया है। यह प्रावधान उनके कार्यों को सुविधाजनक बनाएगा और उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी तथा इन समितियों के सदस्य लाभान्वित होंगे ।

7. **बिना टीडीएस के सहकारी समितियों के लिए नकदी निकासी की सीमा में वृद्धि:**सरकार ने स्रोत पर कर कटौती के बिना सहकारी समितियों की नकद निकासी की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। यह प्रावधान सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को बचाएगा, जिससे उनकी तरलता बढ़ेगी।

8. **सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत**: सरकार ने एक स्पष्टीकरण किया है कि सहकारी चीनी मिलों को अप्रैल, 2016 से गन्ना किसानों को गन्ने के उच्चतर मूल्य का भुगतान करने पर उचित एवं लाभकारी मूल्य या राज्य सलाह मूल्य तक कोई अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा ।

9. **सहकारी चीनी मिलों की आयकर से संबंधित दशकों पुरानी लंबित समस्याओं का समाधान**: सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2023-24 में यह प्रावधान किया है कि सहकारी चीनी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पूर्व गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें 46,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की राहत मिलेगी ।

10. **शीरा पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% किया गया:** सरकार ने शीरा पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है जिससे सहकारी चीनी मिलें डिस्टिलरियों को उच्चतर दरों पर शीरा की बिक्री करके अपने सदस्यों के लिए अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगी।

11. **आयकर अधिनियम, 1961 (आयकर अधिनियम) की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (ख) के तहत विभिन्न आकलन वर्षों के लिए आकलन वर्ष 2018-19 से आकलन वर्ष 2022-23 तक अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती का दावा करने वाले आय के रिटर्न की देरी के लिए माफी।**

    केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डबोर्ड (सीबीडीटी) ने 26 जुलाई 2023 के परिपत्र संख्या 13/2021 के माध्यम से मुख्य आयकर आयुक्तों (सीसीएसआईटी)/आयकर महानिदेशकों (डीजीएसआईटी)

को सहकारी समितियों से विलंब की माफी के आवेदनों से निपटने के लिए अधिकृत किया है, जो निर्धारण वर्ष 2018-19 से निर्धारण वर्ष 2022-23 तक विभिन्न निर्धारण वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अधीन नियत तारीख के भीतर आयकर विवरणी प्रस्तुत करने में विलंब के कारण आयकर अधिनियम की धारा 80पी के अधीन उपलब्ध कटौती का लाभ उठाने में असमर्थ थे और यह देरी उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण या संबंधित राज्य कानून के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक संपरीक्षकों द्वारा खातों की संपरीक्षा कराने में देरी के कारण हुई थी ।

(ङ): जी हाँ मान्यवर, धारा 269 एसटी (क) किसी भी व्यक्ति से एक दिन में या (ख) किसी भी लेनदेन से; या (ग) एकल घटना या अवसर के संबंध में एकाधिक लेनदेन को 2 लाख से अधिक की नकद प्राप्ति से प्रतिबंधित करती है । इस प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, धारा 269 एसटी के उल्लंघन में राशि के लिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत जुर्माना लगाया जाता है। अपने सदस्यों को दूध की कीमत के भुगतान के लिए, दुग्ध सहकारी समितियां एक वितरक से, जिसके साथ उनका अनुबंध है, एक वर्ष में कई दिनों में, विशेष रूप से बैंक की छुट्टियों पर, 2 लाख से अधिक नकद प्राप्त करती हैं। परिणामस्वरूप, आयकर विभाग द्वारा सहकारी समितियों के बीच वितरक के साथ अनुबंध को एक घटना/अवसर मानकर दुग्ध समितियों पर भारी जुर्माना लगाया गया। सहकारिता मंत्रालय ने इस मुद्दे को हल करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया है । सहकारिता मंत्रालय ने इस मुद्दे को हल करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया है । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने दिनांक 30.12.2022 के परिपत्र संख्या 25/2022 के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया कि सहकारी समितियों के संबंध में, डीलरशिप/वितरण अनुबंध स्वयं धारा 269 एसटी के खंड (ग) के प्रयोजन के लिए एक घटना या अवसर नहीं माना जा सकता है। सहकारी समिति द्वारा पूर्व वर्ष में किसी भी दिन ऐसे डीलरशिप/वितरण अनुबंध से संबंधित रसीद, जो निर्धारित सीमा के भीतर है, को पूर्व वर्ष के कई दिनों में एकत्रित नहीं किया जा सकता है। इससे सहकारी समितियां अपने सदस्यों, जो अधिकांशत ग्रामीण और कृषक समुदायों से हैं, को आयकर दंड के भय के बिना बैंक अवकाश के दिन भुगतान करने में समर्थ होंगी।

*****